ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.13 से 31.03.16

1 प्रस्तावना :-

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया । अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति उर्मिला देवी	23.01.11 से 22.01.16
2	श्री जोगिन्द्र सिंह	23.01.16 से लगातार

सचिव :-

क्र॰ सं॰	नाम	अवधि
1	श्रीमति सोनिका शर्मा	01.04.13 से 12.04.13
2	श्री कृष्ण चन्द	13.04.13 से 13.08.13
3	श्री राजेश कुमार	14.08.13 से 20.10.13
4	श्री कृष्ण चन्द	21.10.13 से 31.03.16

(ख) <u>गम्भीर अनियमितताओं का सार</u>:-

ग्राम पंचायत धनेड के लेखाओं अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्रoसंo	पैरा संo	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	पैरा-6	अनुदान का उपयोग न करना	10.91
2	पैरा-7	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार न करना	-
3	पैरा-8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	2.99

4	पैरा-10	खाता-'ख" (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित न करना	-

भाग-दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर , जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 03/2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल , अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्दर कुमार , आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 05.07.16 से 12.07.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया । लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013-14	07/2013	01/2014
2014-15	09/2014	12/2014
2015-16	03/2016	07/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय

लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 <u>अंकेक्षण शुल्क</u> :-

ग्राम पंचायत धनेड, विकास खण्ड हमीरपुर , जिला हमीरपुर के अवधि 4/2013 से 3/2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹7200/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि oप्रo) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 157 दिनांक 12.07.16 द्वारा अनुरोध किया गया । अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को शीघ्र निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हिoप्रo) शिमला-171009 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4 <u>वितीय स्थिति</u> :-

ग्राम पंचायत धनेड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) स्व स्त्रौत :- ग्राम पंचायत धनेड के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	87357	23260	110617	36553.70	74063.30
2014-15	74063.30	34414	108477.30	32493.40	75983.90
2015-16	75983.90	25250	101233.90	13468.80	87765.10

(2) अनुदान :- ग्राम पंचायत धनेड के अवधि 01.04.13 से 31.03.16 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न "परिशिष्ट-1" में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013-14	807615.67	2100724	2908339.70	2146896	761443.67
2014-15	761443.67	1602775	2364218.70	1617514.65	746704.02
2015-16	746704.02	1535347	2282051.02	1191149.17	1090901.85

4.1 **<u>बैंक समाधान विवरणी</u> :-**

स्व स्त्रौत :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 87765/-

दिनांक 31.03.16 को बैंक खाते में शेष : ₹ 87665/-

(PNB **18450**)

हस्तगत राशि : ₹ 100/-

अनुदान :-

दिनांक 31.03.16 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष : ₹ 1090901.85/-

दिनांक 31.03.16 को बैंक खातों में शेष : ₹ 1090901.85/-

बैंक खाता संख्या	**राशि**
Indira aavas Yojna **120358**	**93**
General Fund **12988**	**481053.65**
Rajeev Avas Yojna **120349**	**762**
MNREGA **11554**	0
13TH FC 12997	**598193.65**
Food Grain in stock	**10799.55**
कुल राशि	**1090901.85**

4.2 **<u>रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना</u> :-**

ग्राम पंचायत धनेड की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना

सुनिश्चित किया जाए।

4.3 <u>₹95546 की धन राशि का रोकड़ वही में लेखांकन न करना :-</u>

जांच में पाया कि पंचायत के नाम बैंक खाता संख्या: 20005070847 (KCCB Hamirpur) में दिनांक 31.03.16 को ₹95546/- जमा थे लेकिन इस खाते का रख-रखाब रोकड़ वही में नहीं किया गया था एवं जांच में पाया कि अंकेक्षण अवधि में इस खाते से कोई लेन-देन भी नहीं किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पंचायत सचिव द्वारा इस खाते के रख-रखाब के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत नहीं करवाया जिससे इस खाते में जमा राशि के दुरुपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः इस खाते को खोलने के उदेश्य से अंकेक्षण को अवगत करवाएँ एवं इसका रख-रखाब रोकड़ वही में करना सुनिश्चित करें ताकि इसमे जमा राशि का दुरुपयोग न हो सके।

5 <u>भू- राजस्व की वसूली न करना :-</u>

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा भू- राजस्व की वसूली नियमित रूप से नहीं की थी एवं न ही इसकी वसूली हेतु उचित प्रयास किए गए थे जिसके फलस्वरूप निम्नलिखित अवधि में विभिन्न नम्बरदारों से भू-राजस्व की राशि बकाया थी :-

1 जांच में पाया कि नम्बरदार (श्री जगन नाथ) ने वर्ष 2015-16 के भू-राजस्व की राशि पंचायत में जमा नहीं की थी एवं न ही पंचायत ने इसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही अमल में लाई थी।

2 जांच में पाया कि नम्बरदार (श्री अमर सिंह) ने अंकेक्षण अवधि वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक के भू-राजस्व की राशि पंचायत में जमा नहीं की थी एवं न ही पंचायत ने इसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही अमल में लाई थी।

अतः उक्त वर्णित अवधि में भू-राजस्व की बकाया राशि की शीघ्र वसूली करके पंचायत खाते में जमा करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6 <u>अनुदान ₹ 10.91 लाख का उपयोग न करना :-</u>

पंचायत द्वारा अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना (परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31.03.16 तक अनुदान ₹1090902/- उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने बाले लाभ से वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये

सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

7 <u>निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 /- व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा "परिशिष्ट-2" में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जो कि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। इसके अतिरिक्त जांच में पाया कि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 के अनुसार वही खाते भी तैयार नहीं किए गए थे जिससे वर्णित कार्यों पर खर्च की गई राशि का पता नहीं चल सका। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रौत से करने के उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाये।

8 <u>औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹ 2.99 /-लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) एवं 67 (5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने एवं नियम 69 , 70 एवं 71 में क्रय की गई सामग्री के भण्डार रजिस्टर में इन्द्राज करने , जारी करने एवं भण्डारण संबन्धित औपचारिकतायें प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि "परिशिष्ट-3" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹298908/- के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने एवं स्टॉक स्टोर का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक

स्टोर का क्रय किया जाना एवं सामग्री का इन्द्राज नियमानुसार भण्डार रजिस्टर में करना सुनिश्चित करें।

9 <u>विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था , जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. खाता वहियाँ तैयार न करना।
2. अनुदान रजिस्टर
3. भण्डार रजिस्टर
4. यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर।
5. रसीद बुकों का रख-रखाब भण्डार रजिस्टर में न करना।

10 <u>खाता -'ख" (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज खाता -'क" (स्व स्त्रौत) में अन्तरित न करना</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार खाता- ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज प्रति वर्ष जनवरी और जुलाई के मास में खाता- क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित किया जाना अपेक्षित था। लेकिन जांच में पाया कि नियमानुसार खाता- ख (अनुदान) में जमा निधियों पर उपार्जित ब्याज को खाता- क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित नहीं किया गया था जो कि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपतिजनक है। अतः भविष्य में नियमानुसार ब्याज की राशि को खाता- क (स्व स्त्रौत) में अन्तरित करना सुनिश्चित करें।

11 <u>प्रत्यक्ष सत्यापन</u> :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12 <u>लघु आपति विवरणिका</u> :- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का

अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

13 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(6) 7/2016–खण्ड–1–5112–5115 दिनाँकः23.09.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत धनेड़, विकास खण्ड हमीरपुर, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1(ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी, हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर, हि0प्र0

हस्ता/–
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.